रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2014/श्रावण 30, 1936
No. 1639] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SHRAVANA 30, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2014

सं. 90 (आर.ई.–2013)/2009–2014

का.आ. 2108(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009–14 में निम्नलिखित संशोधन को अधिसूचित करती है।

2. दिनांक 01.08.2013 की अधिसूचना सं.31 के द्वारा की गई प्रविष्टि के अनुसार विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.15 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

4.1.15 (क) "जहाँ कहीं भी सिओन के तहत किसी (क) जिनेरिक निविष्टि अथवा (ख) किसी वैकल्पिक निविष्टि की अनुमति दी जाती है, जब तक उस विशिष्ट निविष्टि(यों) का नाम [जिनका इस्तेमाल निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में किया गया है] संगत पोतलदान बिल में इंगित/पृष्ठांकित नहीं किया जाता है तथा इस प्रकार पृष्ठांकित इन निविष्टियों को संगत प्रविष्टि बिल में उल्लिखित विवरण के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तब तक संबंधित प्राधिकार–पत्र का मोचन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्राधिकार–पत्र में प्रयुक्त की गई (अथवा प्रयोग की जाने वाली) निविष्टियों का नाम/विवरण पोतलदान बिल में दर्शाए गए नाम/विवरण से पूर्णतया मिलना चाहिए।

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के सामने एक निविष्टि दर्शायी गई हो तो आयात हेतु अनुमत की जाने वाली ऐसी निविष्टियों की मात्रा, निविष्टियों के ऐसे समूह के लिए समग्र मात्रा के अन्दर उत्पादन में वास्तव में प्रयोग/खपत की गई इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तव में प्रयोग/खपत की गई इन निविष्टियों के अनुपात को पोतलदान बिलों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(ग) निर्यात दायित्व (ईओडीसी) के निर्वहन के समय अथवा मोचन के समय, क्षेत्रीय प्राधिकारी केवल उन्हीं निविष्टियों को अनुमत करेगा जिन्हें पोतलदान बिल में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया होगा।"

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:** अग्रिम प्राधिकार–पत्र/डीएफआईए के तहत अनुमत की जाने वाली निविष्टि की मात्रा उत्पादन में वास्तव में प्रयोग/खपत की जाने वाली निविष्टि की मात्रा के अनुपात में होनी चाहिए।

[फा. सं. 01/94/180/165/एएम12/पीसी–4]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2014

No. 90 (RE-2013)/ 2009-2014

S.O. 2108(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby notifies the following amendment in the Foreign Trade Policy (FTP), 2009-2014.

2. Para 4.1.15 of FTP, as inserted vide Notification No.31 dated 1.8.2013, is amended to read as follows:

4.1.15 (a) "Wherever SION permits use of either (a) a generic input or (b) alternative inputs, unless the name of the specific input(s) [which has (have) been used in manufacturing the export product] gets indicated / endorsed in the relevant shipping bill and these inputs, so endorsed, match the description in the relevant bill of entry, the concerned Authorisation will not be redeemed. In other words, the name/description of the input used (or to be used) in the Authorisation must match exactly the name/description endorsed in the shipping bill.

(b) In addition in case in any SION, a single quantity has been indicated against number of inputs (more than one input), then quantities of such inputs to be permitted for import shall be in proportion to the quantity of these inputs actually used/consumed in production, within overall quantity against such group of inputs. Proportion of these inputs actually used/consumed in production of export product shall be clearly indicated in shipping bills.

(c) At the time of discharge of export obligation (EODC) or at the time of redemption, RA shall allow only those inputs which have been specifically indicated in the shipping bill."

3. **Effect of this Notification:** Quantity of input to be allowed under Advance Authorisation/DFIA shall be in proportion to the quantity of input actually used/consumed in production.

[F. No. 01/ 94 /180 /165 /AM12 / PC-4]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.